तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **अंतर कंवर बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)** **सू.अ.अ. अपील संख्या 97/2023**	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12-04-23	अपीलार्थी अन्तर कंवर पत्नी अभयसिंह चौहान निवासी पहाड़गंज कॉलानी–2, मंडोर रोड़, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 06.02..2023 में (1) कानाराम हलका पटवारी चाबा तहसील शेरगढ के विरूद्ध 100 प्रतिशत झूठ रिपोर्ट कृषि आदान अनुदान बाबत् लोकायुक्त को शिकायत की गई उस शिकायत पर उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा नवम्बर 2022 में जांच कर पूर्ण कर दी तथा उक्त जांच रिपोर्ट जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर को भिजवाई जानी बताई गई अतः लोकायुक्त वाली जांच में किन किन के बयान लिये जांच अधिकारी ने अपनी तरफ से क्या क्या लिख ए टू जेड साक्ष्यों की व अन्य बिन्दुओ , से संबंधित सूचना लिए ,लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 395 दिनांक 05.04.2023 तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रभारी अधिकारी, सतर्कता एवं सम्पर्क शाखा शाखा कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीनी को बिन्दु संख्या एक में 52 पृष्ठों की सूचना के लिए 104/– रूपये कार्यालय के पत्र संख्या 241 दिनांक 23.02..23 द्वारा तथा बिन्दु संख्या 2 में कुल 19 पृष्ठों की सूचना प्राप्त करने हेतु राशि रूपये 38/– इस कार्याल्य के पत्रांक 273 दिनांक 03.03.23 द्वारा इस कार्यालय में जमा कराने हेतु लिखा गया, परन्तु वांछित राशि अभी तक इस कार्यालय में जमा नहीं करवाई गई तथा राशि जमा नहीं कराये जाने के कारण प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा निर्धारित सूचना शुल्क जमा नहीं करवाया गया है अतः प्रार्थी अब भी सूचना प्राप्त करने को गंभीर है तो 15 दिवस में निर्धारित सूचना शुल्क राशि जमा करा कर सूचना प्राप्त कर सकता है। अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो।	